



भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधानसंस्थान  
ICAR - Central Arid Zone Research Institute  
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003  
Website: [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in), Email: [director.cazri@icar.gov.in](mailto:director.cazri@icar.gov.in)  
Phone No. 0291 –2787152(AAO)/ FAX: 0291 – 2788706



फाइलसंख्या : 11(10)2025/प्रशासन चतुर्थ/

दिनांक: 04.03.2025

### खेजड़ी फलों (सांगरिया) की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान(काजरी), जोधपुर के अनुसंधान फार्म के बगीचों में खेजड़ी के लगभग 700 की संख्या में फलयुक्त पेड़ लगे हुए हैं । इन खेजड़ी फलों की नीलामी, फलों की ऋतुवर्ष 2024-25 (माह मार्च, 2025 से 15 मई, 2025 की अवधि) के लिए दिनांक 11.03.2025 को दोपहर 02:30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ  
वास्तेनिदेशक

नोट: यह निविदा सूचना राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण में दिनांक 05.01.2025 को प्रकाशित है ।



भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधानसंस्थान

ICAR - Central Arid Zone Research Institute

जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003

Website: [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in), Email: [director.cazri@icar.gov.in](mailto:director.cazri@icar.gov.in)

Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ [mail:aaostoreadmiv@gmail.com](mailto:aaostoreadmiv@gmail.com)



F. No. 11(10)2024-25/Admn. IV/

Dated: 04.03.2025

## खेजड़ी फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 11.03.2025 समय दोपहर 2.30 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक : 11.03.2025 समय दोपहर 3.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकर्ता इस वेबसाइट से निविदा संबंधी विवरण डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रेषक :

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ

भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),

जोधपुर । (राज0 )342003

सेवामें

मैसर्स/ श्रीमान् \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**विषय:-** के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के अनुसंधान फार्म में खेजड़ी के फलों की ऋतुवर्ष 2024-25 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के अनुसंधान फार्म में खेजड़ी के फलों की नीलामी ऋतुवर्ष 2024-25 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 11.03.2025 समय दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत करदी जाये अथवा पहुँच जानी चाहिए। निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

भवदीय

सलग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार)  
वास्तेनिदेशक

नीलामीसामग्री की विवरणी

क्रमसंख्या	विवरण	ऑवलापेड़ों की संख्या	कोट की जाने वाली दर
1.	इस संस्थान(काजरी), जोधपुर के <b>अनुसंधान फार्म</b> में <b>खेजड़ी</b> के विभिन्न किस्मों के लगभग <b>700</b> पेड़ हैं। <b>खेजड़ी</b> के फलों की नीलामी ऋतुवर्ष <b>2024-25</b> के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत <b>खेजड़ी</b> पेड़ों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे-सिंचाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्चेपर जो कि <b>खेजड़ी</b> पेड़ों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर <b>खेजड़ी</b> फल लगने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने कार्य होंगे । सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।	लगभग 700 पेड़.	अंको मे ..... शब्दो में ..... ..... ..... .....

नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (Minimum Reserve Price) रुपये 1,00,000.00 रखा गया है। इस सरकारी मूल्य से कम मूल्य

कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म / पार्टी की निविदा मान्य नहीं होगी।

**खेजड़ी** के फलों नीलामी हेतु नियम व शर्तें-

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपय 10,000.00 'DIRECTOR CAZRI JODHPUR' के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट(Demand Draft) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. (if applicable ) **खेजड़ी** के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार / फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त **खेजड़ी** के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जासकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदापत्र के लिफाफे के ऊपर **खेजड़ी फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी।
5. सफल या उच्चतम निविदादाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किए जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय प्रातः 9:00 से दोपहर 5:30 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलों की तुड़वाई ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों को बगैर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है ।
6. इस संस्थान को अनुसन्धान और नमूना उद्देश्यों के लिए बडेड **खेजड़ी** निर्धारित 20 किलो ग्राम एवं 30 किलो ग्राम चिन्हित **खेजड़ी** पेड़ों के फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी। बीज संग्रहण के लिए चिन्हित पेड़ **खेजड़ी** फल/सांगरिया तुड़वाई के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
7. प्रतिदिन काटे गए फली के कुल वजन की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को देनी होगी। फली की नीलामी के बाद सिंचाई और अन्य कार्य ठेकेदार को ही करने होंगे।
8. **खेजड़ी फलों की नीलामी** में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी समाप्त होने के तुरन्तबाद एवं शेष आधी राशि फलों की पहली तुड़वाई के दिन जमा करनी होगी ।
9. ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में विक्रय स्थल रखने की सुविधा दी जाएगी. बशर्ते ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि काजरी परिसर में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाये। संस्थान में विक्रय स्थल तथा आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा एवं अनुशासन का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि बागवानी प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त सम्बन्ध में लापरवाही की सूचना दी जाती है तो ठेकेदार पर 5,000.00 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा लेटर हैडपर हलफनामा/शपथ-पत्र देना होगा। (हलफनामा/शपथ-पत्र का प्रारूप सलंगन है। )
10. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ले सकते हैं ।
11. **खेजड़ी** फलों की नीलामी के सफलतम/अधिकतम स्वीकृत दर निविदादाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।

12. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
13. निविदादाता को इननियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगा कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) से डाउनलोड की जा सकत है ।
14. **खेजड़ी** के पेड़ों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।
15. नीलामी की अन्य शर्तें नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्यप्रभारी अधिकारी, उद्यान/Dr. Archana Verma, Sr. Sci., Div-II के निर्देशानुसार करने होंगे ।
15. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
16. नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का सफलतम/अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलामी कार्यावधि के **दौरान** उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाय जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेका को निरस्त करने का अधिकार रहोगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
17. **खेजड़ी** फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा **खेजड़ी** के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
18. **खेजड़ी** फलों की नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्कुरिटी राशि(ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व **खेजड़ी** फलों ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
19. **खेजड़ी** पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
20. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, के०शु०क्षे०अ०सं०, जोधपुर का होगा ।
21. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले **खेजड़ी** पेड़ों के रख रखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकोंको काम में नहीं लगाया जाएगा ।
22. इस नीलामी में **खेजड़ी फलों के** फल तोड़ने की अवधि नीलामी की दिनांक से 15 **मई**, 2025 तक वैध रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

प्रशासन चतुर्थ

सहायक प्रशासनिक अधिकारी,

वास्ते निदेशक

## ढेके की अन्य शर्तें एवंनियम—

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट—छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. **खेजडी फलों की नीलामी** संबंधी निविदा हेतु निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 10,000/—अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि **DIRECTOR CAZRI, JODHPUR** के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें। पेनसंख्या प्रमाण—पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
6. **खेजडी फलों की नीलामी** के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा।
8. **खेजडी** के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यों तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यों, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. — के 0 शु 0 क्षे 0 अ 0 सं 0 (काजरी) का होगा।
10. **खेजडी फलों की नीलामी** में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को **खेजडी** पेड़ों के रख-रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान **खेजडी** फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा **खेजडी** फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
11. **खेजडी फलों** को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे **ESI/EPF/Service Tax etc.** का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण **अनुसरण/निर्वाह** करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले **खेजडी** पेड़ों के रख रखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बालश्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
15. **COVID-19** नोवल कोरोना कोविड 19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, दिशा निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी।
16. **खेजडी** फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में ठेकेदारा द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में **खेजडी** फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी।
17. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को फेसमास्क पहनना अनिवार्य है।
18. संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक **खेजडी** फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में लगाने होंगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं है तथा उन सभी श्रमिकों को मुँह पर मास्क, फेसकवर / शील्ड, दास्ताने तथा हेण्डसेनेटाईजर तथा वेक्सिनेटेड इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ  
वास्तु निदेशक

**फर्म/एजेन्सी का विवरण**

1. निविदादाताफर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : .....
2. निविदादाताफर्म/एजेन्सी का नाम एवंपूर्ण पता : मैसर्स .....  
.....  
.....(a copy of address proof document duly self attested should be attached).
3. (अ) टेलीफोननं. कार्यालय: ..... निवास: ..... मोबाइलनं. ....  
(ब) ई.मेल पता : .....
4. फर्म/एजेन्सी का विवरण : .....  
(साझेदारीडीड/संविधान यदिसोसाइटीहै तो) .....
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर : .....
6. आयकरविभाग द्वारा निर्गतपैन (PAN) नम्बर : .....  
(photocopydulyself attested should be attached)
7. फार्मउत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस
8. टैक्सनम्बर/GSTIN/ Form GST REGnumber%-----  
-----  
issued by GOI and Govt. of Rajasthan
9. फर्म के बैंक का नाम व पता : .....  
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोडनम्बर : ..... बैंक खातानम्बर: .....  
(सही सूचना के लिए निरस्तचैक की छायाप्रतिसंलग्न करें)
10. बिडसिक्युरिटी(Earnest Money)रु. 10,000.00डी0डी0 नम्बर: ..... दिनांक: .....  
..  
बैंक का नाम .....जोकि "DIRECTOR CAZRI, JODHPUR" के पक्ष में देय हो ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर  
मोहर Signature of the bidder  
with seal

नोट :निविदाप्रपत्र कोबिनाकांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 11.03.2025 को दोपहर 2.30 बजे तक या इससे पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. -केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग-चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर **खेजड़ी फलों की नीलामी लिए निविदा** लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) देखें ।

**हलफनामा / शपथ-पत्र**

मैसर्स.....या उसका अधिकृत व्यक्ति.....

.....यह शपथ लेता हूँ/घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म या मेरे श्रमिकों द्वारा काजरी संस्थान के परिसर में अनुशासन की पालना की जायेगी, साथ ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।फल खरीदने के लिए आने वाले लोगों को विक्रय स्थल के आस पास के क्षेत्र में न जायें उसका भी ध्यान टेंकंदार द्वारा रखा जायेगा, अगर इस दौरान विक्रय स्थल के आस पास कोई अतिक्रमण या लापरवाही फर्म के द्वारा / अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा या बाहर से आने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा और इसके लिए नियमानुसार जुर्माना राशि कार्यालय में जमा करा दी जायेगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

मैसर्स.....

.....